राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1444/2011

प्रभुदयाल नागर –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
2. आयुक्त (माध्यमिक) शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) पुरूष, राजस्थान, कोटा।
4. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.12.2011
आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शरतचन्द सेठी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी दिनांक 25.11.1978 से अस्थाई अध्यापक के पद पर कार्यरत था। पंचायत समिति किशनगंज के आदेश दिनांक 13.12.1988 (अनुलग्नक–4) द्वारा राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के फलस्वरूप स्थाईकरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.01.1994 (अनुलग्नक–5) द्वारा दिनांक 25.11.1978 से स्थाईकरण और नियमतिकरण किया गया। वित्त विभाग (ग्रुप–2) राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 15.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.11.1996 से दिया जाकर अपीलार्थी को 6500–10500 की वेतन श्रृंखला में चयनित वेतनमान को स्वीकृत किया गया (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश अनुसार 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.11.1996 से चयनित वेतनमान दिया गया है जो प्रथम नियुक्ति वर्ष 1978 से सेवा की गणना कर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में सेवानिवृत हो चुका है। शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2010 (अनुलग्नक–7) द्वारा उपशासन सचिव ने खण्डपीठ विशेष अपील याचिका संख्या 208/2006 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2007 एवं निर्णय से कवर कर पारित अन्य सभी निर्णय के आधार पर दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतन श्रृंखला 6500–10500 में चयनित वेतनमान के रूप में प्राप्त वेतन श्रृंखला में वेतन

आहरण की स्वीकृति बाबत् यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय के समरूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान 6500–10500 में वेतन प्राप्त कर रहे थे को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में प्राप्त होगा। अनुलग्नक–7 की अनुपालना में कार्यालय प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बांसथूनी, बारां द्वारा दिनांक 23.10.2010 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी का वेतन व्यक्तिगत वेतनमान प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाने के कारण निर्धारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के संशोधित फिक्सेशन आदेश दिनांक 04.06.2010 जो अनुलग्नक–7 की अनुपालना में यह आक्षेप लगाते हुए जारी किये गये कि दिनांक 25.11.1996 से स्वीकृत 18 वर्षीय चयनित वेतामन की स्वीकृति अनियमित है (अनुलग्नक–9)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के 18 वर्ष पूरे होने पर दिनांक 25.11.1996 से स्वीकृत माना है और इस आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 21.11.2008 (अनुलग्नक–2) द्वारा उनके वेतन से वसूली की गई है। जो नियमविरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जाना और अपीलार्थी को पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमान के अनुसार ही स्वीकृती का हकदार है। साथ ही जनवरी 2008 में वसूली की गई राशि 30279 रूपये को मय ब्याज 12 प्रतिशत दिलाने हेतु निवेदन किया गया है। साथ ही निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 27 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पूर्ण चयनित वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है, जिसे स्वीकृत कराने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की सेवाएं जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग आदेश तक अपीलार्थी की सेवाएं जिला स्थापना समिति द्वारा स्क्रीनिंग आदेश दिनांक 13.12.1988 द्वारा की गई है, जिसमें चयनीकरण के बाद उपस्थिति दिनांक 22.08.1985 अंकित है। इसलिए, अपीलार्थी को वरिष्ठता का लाभ आदेश जारी करने की दिनांक 22–08–1985 से दिया गया है जो नियमानुसार सही है। अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की अस्थाई नियुक्ति दिनांक 25.11.1978 को हुई थी। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो नियुक्ति दिनांक 25.11.1978 को हुई थी, वह नियमित नियुक्ति नहीं थी,

बल्कि ad-hoc के रूप में हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि बाद में अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 22.08.1985 से जिला स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार नियमित की गई थी। स्क्रीनिंग के पश्चात जिला स्थापना समिति के आदेश से अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की गई थी। पहले अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान प्रथम नियुक्ति वर्ष 1978 से स्वीकृत की गई परन्तु तत्पश्चात् त्रुटिसुधार कर आदेश संशोधित कर चयनित वेतनमान हेतु सेवा अवधि की गणना नियमित नियुक्ति की तिथि 22.08.1985 से की गई एवं इसी आधार पर अधिक भुगतान की गई राशि 30279 रूपये की वसूली की कार्यवाही की गई।

प्रश्न यह है कि चयनित वेतन हेतु सेवा अवधि की गणना किस तिथि से की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशन अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?

(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?

(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?

(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?

(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from

the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

अतः उक्त न्याय निर्णय के बिन्दू संख्या–1 व 4 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवा नियमित मानी जाएगी। यह भी माना है कि वरिष्ठता या अन्य लाभ के संबंध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारिख नहीं हो सकती।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 22.08.1985 से चयनीकरण/स्क्रीनिंग के बाद नियमित की गई, उसकी पूर्व की सेवाओं को अपीलार्थी वरिष्ठता व अन्य लाभ के लिए अपनी सेवा अवधि में नहीं जुड़वा सकता है। अतः अपीलार्थी को उसकी सेवाओं के नियमितिकरण की दिनांक 22.08.1985 से सेवा अवधि की गणना कर चयनित वेतनमान आलोच्य आदेश द्वारा संशोधित किया गया है। जो नियमानुसार है परन्तु उक्त न्याय निर्णय के बिन्दु संख्या (सी) में यह स्पष्ट किया है कि यदि पूर्व में चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है तो उन्हें प्रत्याहरित नहीं किया जायेगा एवं कार्मिक से कोई वसूली भी नहीं की जायेगी। अतः इस न्याय निर्णय के दृष्टिगत अपीलार्थी से आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान को प्रत्याहरित करना न्यायोचित नहीं होगा एवं वसूली करना भी उचित नहीं होगा। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति हो चुकी है एवं वसूली हेतु आदेश दिनांक 21.11.2008 को जारी हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह 2015 (4) एस सी सी 334 में यह निर्धारित किया है कि सेवानिवृत्त कार्मिक से कोई वसूली नहीं की जा सकती जबकि कार्मिक के स्तर पर इस प्रकरण में कोई गलती नहीं है। जहां तक अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण हाने पर तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करने का विषय है तो सेवानियमन की तिथि 22.08.1985 से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से

पहले ही अपीलार्थी की सेवानिवृति हो चुकी है। अतः तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत करना संबंध नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा चयनित वेतनमान संशोधित कर वेतन निर्धारण किया गया है एवं आदेश दिनांक 23.01.2008 (अनुलग्नक–3) जिसके द्वारा 30279 रूपये की वसूली हेतु आदेशित किया गया, को अपास्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी से उक्त आदेशों के तहत् कोई राशि वसूली नहीं की जावे एवं यदि कोई राशि वसूल की गई है तो उसे 6 प्रतिशत ब्याज सहित लोटाया जावे। प्रत्यर्थी विभाग उक्त आदेशों की पालना 3 माह में सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 11.08.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य